

**GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
DEPARTMENT OF FOOD, SUPPLY & CONSUMER AFFAIRS
K-BLOCK, VIKAS BHAWAN, I.P. ESTATE, NEW DELH**

No. F.2 (04)/DLA/BS/F&S/P&C/2019/304

Dated. 26/02/19

To,

✓ The Dy.Secretary,(Question Branch)
Delhi Legislative Assembly
Old Secretariat, Delhi- 110054.

Sub:- Delhi Legislative Assembly Starred Question No. 35 asked by
Sh.Surender Singh, MLA due for answer on 27.02.2019.

Sir,

With reference to above cited subject, I am directed to forward
herewith 100 copies of reply of the above question duly authenticated by the
Competent Authority.

Encl:- As above.

Yours faithfully



(DESHRAJ SINGH)
ASSTT.COMMISSIONER (F&S)

No F.2 (04)/DLA/BS/F&S/P&C/2019/

Dated

Copy forwarded to :-

1. The Director, Directorate of Information and Publicity, Government of NCT of Delhi, Old Secretariat, Delhi along with 150 copies of the reply of above referred DLA Starred question of distribution of the House.


(DESHRAJ SINGH)
ASSTT.COMMISSIONER (F&S)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार,
खाद्य, संभरण एवं उपभोक्ता कार्यकलाप विभाग,
के. ब्लॉक, विकास भवन, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली-110002

तारांकित प्रश्न संख्या :- 35

दिनांक: 27/02/2019

प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री सुरेन्द्र सिंह

क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

प्रश्न	उत्तर
(क) दिल्ली छावनी विधान सभा क्षेत्र में विभाग द्वारा 2017 से नए राशन कार्डों के लिए प्राप्त किए गए आवेदन-पत्रों की संख्या बताइये, इसका ब्यौरा दीजिये।	मण्डल संख्या-38 दिल्ली छावनी में वर्ष 2017 से अब तक कुल 476 नए कार्ड के लिए आवेदन स्वीकार किए गए हैं।
(ख) पुराने राशन-कार्ड जमा कराने के बाद नए राशन कार्ड जारी करने की अधिकतम समय सीमा कितनी है।	नए राशन कार्ड बनाने की अधिकतम समय सीमा 30 दिन है।
(ग) क्या दिल्ली सरकार ने बीपीएल राशन कार्ड जारी करने बंद कर दिये हैं।	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत केवल AAY/PR कार्ड बनाने का प्रावधान है।
(घ) यदि हाँ, तो इसका पूरा ब्यौरा बताइये।	उपरोक्त (ग) अनुसार।
(ङ) नये राशन कार्ड जारी करने के लिए अपेक्षित दस्तावेजों का पूरा ब्यौरा दीजिए?	नए राशन कार्ड जारी करने के लिए आवेदन फार्म के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जाते हैं। 1. परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड की कॉपी। 2. आवेदक के निवास प्रमाण पत्र की कॉपी अगर आधार कार्ड में दिये हुए पते या राशन कार्ड के पते से भिन्न है। बेघर व्यक्ति के लिए निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। 3. राजस्व विभाग द्वारा जारी किया हुआ आय प्रमाण पत्र जहाँ आवश्यक हो। 4. आवेदन में लिखे पते का बिजली का बिल।

